परिच्छेद - अष्टम

रायगढ़ जिले में वृहताकार आदिम जाति बहुउद्देशीय सहकारी समितियाँ (लैम्प्स) की प्रमुख समस्याऐं एवं सुझाव

"यदि हम व्यक्ति की स्वतंत्रता की कदर करते हैं, जैसा कि हममें से बहुत से लोग करते हैं, तो आखिर हम व्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने और साथ ही मुनाफे और सम्पत्ति बढ़ाने की धुन में डूबे समाज से छुटकारा पाने के अपने प्रयत्नों में किस तरह सफल हो सकते हैं ? सहकारिता आन्दोलन में ही एक ऐसा दर्शन, एक ऐसा तरीका नजर आता है, जिससे इस प्रकार के सामाजिक ढांचे का निमाण हो सकता है।"

-जवाहर लाल नेहरु

परिच्छेद - आठ

रायगढ़ जिले में वृहताकार आदिम जाति बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों (लैम्प्स) की प्रमुख समस्याएँ एवं सुझाव

पंचम पंचवर्षीय योजना में आदिवासियों के हित संवर्धन के लिये वृहताकार आदिम-जाति बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों (लैम्प्स) का गठन किया गया। इनके गठन के 17 वर्षो के उपरान्त भी संस्थायें सक्षम इकाई नहीं बन पायी जिससे ये संस्थाएँ सदस्यों के बहुमुखी विकास के कार्य में कठिनाई अनुभव कर रही हैं।

प्रस्तुत अध्ययन में किये गये मूल्यांकन अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों से यह स्पष्ट होता है कि बहुतायत में लैम्प्स में आन्तरिक संरचनात्मक क्षमता का अभाव है तथा जिनका आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक जीवन स्तर के विकास में नगण्य प्रभाव रहा है। इसके अतिरिक्त वृहताकार आदिमजाति बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियाँ अपने विस्तृत कार्यक्षेत्र, स्थायी कर्मचारियों की कम संख्या तथा इनमें प्रबंधकीय योग्यता का अभाव दोषपूर्ण कार्य प्रणाली, अपर्याप्त वित्त व्यवस्था के कारण अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार तथा उत्पादन साख प्रदाय, उपभोग साख प्रदाय, वितरण तथा विपणन कार्य सही ढंग से नहीं कर पा रही हैं। इस तरह लैम्प्स ने अपनी स्थापना के उद्देश्यों को अल्पूरित छोड़ रखा है। आज भी जनजातीय क्षेत्रों में अधिकतर आदिवासी महाजनों पर आश्रित हैं जिससे स्पष्ट होता है कि यह संस्था अभी तक इनमें विश्वास तथा साख पैदा नहीं कर पायी है।

रायगढ़ जिले के लैम्प्स संस्थाओं के अध्ययन के पश्चात् इनकी कार्यप्रणाली, आर्थिक स्थिति आदि के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जिले में लैम्प्स संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण की महती आवश्यकता है। अध्ययन के क्रम में लैम्प्स संस्थाओं के प्रबंधक, कर्मचारी वर्ग, सदस्य आदि से लैम्प्स संस्थाओं के सफल संचालन में बाधक कारकों तथा समस्याओं के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की गयी तथा इनमें अपेक्षित सुधार हेतु सुझाव प्राप्त किये गये।

इनमें कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्न हैं -

(1) लैम्पुस की संख्या तथा आर्थिक सक्षमता :-

जिले में लेम्पुस का गठन सेवा सहकारी समितियों को परिवर्तित कर तथा नवीन संस्थाएं गठित कर व्यवस्था की गयी है। एक ओर जिले में 7 विकास खण्ड स्तरीय समितियाँ हैं तो दूसरी ओर 30 हाट स्तरीय समितियाँ। इन समितियों का गठन आवश्यकता के आधार पर नहीं किया गया है। यहीं कारण है कि जिले में अधिकांश समितियाँ आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं।

(2) **कार्य :-**

लैम्पुस की उपविधियों में अनेक कार्य दर्शाये गये हैं, लेकिन जिले में कार्यरत समितियाँ अपने कार्यो को कुछ सीमा तक ही सम्पन्न कर पायी हैं। जो गतिविधियाँ चल रही हैं उनका उल्लेख यथा स्थान किया गया है। वे भी पूर्णतः सम्पन्न नहीं की जा रही हैं। परिणाम स्वरूप संस्थाओं के उद्देश्य के अनुसार कार्य सीमित होते जा रहे हैं तथा अन्य कई तरह के कार्य संस्थाओं पर आये दिन लादे जा रहे हैं यथा आदिम-जाति कल्याण विभाग की भाँति अनेक कल्याण कार्य लैम्पुस को सौंपे गये हैं जैसे दुर्गम क्षेत्रों में खाद्यान्नों का वितरण, खाद बिक्री, ब्याज मुक्त ऋण आवेदन आदि जिससे लैम्पुस को आर्थिक क्षति होती है। इस ओर शासन से पर्याप्त सहायता भी नहीं मिलती है जिससे भविष्य में समितियों के समक्ष आर्थिक संकट आ सकता है।

समितियों का जहाँ मूल कार्य कर्ज वितरण, रासायनिक खाद, उन्नत बीज, कीटनाशक दवाओं का वितरण है वहीं अन्य कार्य जैसे जवाहर रोजगार व इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत चाँवल वितरण, निराश्रितों को खाद्यान्न वितरण, तेन्दू पत्ता बोनस, बचत बैंक, निराश्रित पेंशन आदि जैसे अनेक कार्य जोड़ दिये गये हैं जिनके कारण मूल कार्य जहाँ प्रभावित होते हैं वहीं अनेकोनेक प्रकार की जानकारियाँ समय पर न देने के कारण कर्मचारियों को स्पष्टीकरण तथा कारण बताओ नोटिस प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार कार्यो की अधिकता के कारण इनकी कार्य प्रणाली निरन्तर जटिल होती चली जा रही है।

(3) **कार्य क्षेत्र :-**

लैम्पुस के कार्यक्षेत्र में एकरूपता नहीं है। 75 प्रतिशत प्रबंधकों के अनुसार जिले में अधिकांश लैम्पुस के कार्यक्षेत्र का विस्तार अव्यवहारिक है। विशेषतया आदिवासी बाहुल्य पर्वतीय क्षेत्रों में घरों की स्थिति दूर-दूर होने के कारण कार्यक्षेत्र का विस्तार और अधिक असुविधाजनक हो गया है।

लैम्प्स के गठन के समय यह परिकल्पना की गयी थी कि हाट स्तरीय लैम्प्स के कार्य क्षेत्र में 2000 परिवार या उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की जनसंख्या 10,000 होगी। विकास खण्ड स्तरीय लैम्पुस के कार्यक्षेत्र की अधिकतम दूरी 35 किलो मीटर तक फैली हुई है। इसके कारण समस्त सदस्य तथा संस्था के मध्य सामंजस्य का अभाव पाया गया है। वर्तमान में जिले में लैम्पस् के वृहत् कार्यक्षेत्र के आधार पर स्थायी कर्मचारी बहुत कम हैं। इससे कार्यों के उत्तरदायित्वों का पूर्णतः निर्वाह नहीं हो पाता है। ऋण वितरण, खाद विक्रय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जवाहर रोजगार योजना आदि विभिन्न कार्यों के लिये समितियों में स्थायी कर्मचारी औसतन दो हैं। दो उत्तरदायी व्यक्तियों के द्वारा यह संपूर्ण कार्य कैसे संभव है ? यदि संभव नहीं है तो इसके लिये क्या व्यवस्था की जाय ?

लैम्पुस के वर्तमान कार्यक्षेत्र को देखते हुए पुनर्गठन आवश्यक है। इसके लिये मुख्यालय से दूरी, आवागमन के साधन साथ ही न्यूनतम वित्तीय सक्षमता की बजाय समुचित सेवा को प्राथमिकता देना चाहिये। सदस्यों से जीवन्त संपर्क कायम रखने हेतु लैम्पुस के लिये उपयुक्त प्रशासनिक ढाँचा तैयार किया जाये तथा उन्हें मूलभूत सुविधाऐं उपलब्ध कराई जायें। समिति प्रबंधक तथा सदस्यों आदि के विचारों एव व्यवहारिकता के दृष्टिकोण से पहला लैम्पुस का कार्यक्षेत्र एक ग्राम पंचायत के कार्यक्षेत्र के समकक्ष रखा जाना चाहिये। दूसरा लैम्पुस का विभाजन पुनर्गठन हेतु 15 ग्राम तथा 10 कि॰मी. की दूरी पर विचार किया जाना आवश्यक है। कुछ लैम्पुस प्रबंधकों ने विकास खण्ड स्तर के लैम्पुस को हाट स्तर तक पुर्नगठित करना उपयुक्त रहेगा, व्यक्त किया है। इस संबंध में इनका सुझाव लैम्पुस के विस्तृत कार्यक्षेत्र को कम कर 5 कि.मी. की दूरी अथवा हाट स्तरीय ग्राम में नयी शाखाओं के गठन का है, जिससे प्रत्येक सदस्य अपनी समीपवर्ती शाखा से संपर्क स्थापित करके सुविधानुसार ऋण प्राप्त कर सके एवं लैम्पुस द्वारा प्रदाय की जाने वाली सुविधाओं का लाभ ले सके। इसके लिये आवश्यक है कि लैम्पुस प्रबंधक, सहायक मुख्य पर्यवेक्षक, शाखा प्रबंधक, संस्था अध्यक्ष, सहकारिता विस्तार अधिकारी के द्वारा लैम्पुस के कार्यक्षेत्र का पुनः निर्धारण, सदस्यों की अधिकतम सुविधा को ध्यान में रख कर किया जाना चाहिये।

संस्था के कार्यक्षेत्र के संबंध में विचार व्यक्त करते हुए 65 प्रतिशत सदस्यों ने कहा कि संस्था के कार्यक्षेत्र का कोई भी गॉव संस्था कार्यालय से 5-8 कि.मी. से अधिक दूरी पर नहीं होना चाहिये। यदि इन सीमाओं का विचार न करते हुए संस्था का कार्यक्षेत्र बड़ा रखा गया तो उसमें सदस्य

पूर्णरूप से रूचि नहीं लेगें तथा पारस्परिक जानकारी तथा निगरानी भी संभव नहीं हो सकेगी।

इस तरह संस्था के कार्यक्षेत्र का निर्धारण उद्देश्यात्मक दृष्टिकोण को सामने रख कर किया जाना चाहिये तथा बड़े कार्य क्षेत्र वाले संस्थाओं में शाखाओं का गठन किया जाना चाहिये। लैम्पस के पुनर्गठन के समय ग्राम पंचायतों के कार्यक्षेत्र को भी ध्यान में रखा जाना उपयुक्त है।

सदस्यता :-

जिले में कार्यरत 50 प्रतिशत संस्थाओं में औसतन सदस्यता कम है। सदस्यता की विकास दर भी कम है। अभी भी जिले के 55 प्रतिशत आदिवासी परिवार इन संस्थाओं की सदस्यता से वंचित हैं। 65 प्रतिशत प्रबंधकों के अनुसार शासन द्वारा सदस्यता वृद्धि हेतु कोई ठोस कार्यक्रम संस्थाओं के माध्यम से नहीं बनाया है। अभी तक संस्थाओं में ऋणी सदस्यों की संख्या में भी अपेक्षित वृद्धि नहीं हो पा रही है। अर्थात् अधिकांश सदस्य संस्था से व्यवहार नहीं करते है। ऐसा क्यों ? इस पर बहुत कम विचार किया गया है। अतः अऋणी सदस्यों को ऋणी बनाने के लिये समिति स्तर पर सामूहिक प्रयास किये जाने की योजना शासन द्वारा बनाई जानी चाहिये तथा ऐसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये, जिससे अऋणी सदस्य सहकारी समितियों से ऋण लेने की ओर आकर्षित हों। इसके लिये संस्था के कार्यक्षेत्र में आने वाले ग्रामों का सर्वेक्षण कर कृषक एवं गैर कृषक व्यक्तियों की सूची तैयार की जानी चाहिये। जो व्यक्ति संस्था के सदस्य नहीं हैं, उनसे व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करके लैम्पस की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर,उन्हें शत-प्रतिशत सदस्य बनाने का समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाना चाहिये।

35 प्रतिशत व्यवस्थापकों के अनुसार सहकारी सिद्धांतों की अनभिज्ञता भी सहकारिता के विकास में अत्यधिक बाधक है। आज भी सहकारी समितियाँ मात्र ऋण देने वाले साधन के रूप में ही देखी जाती हैं। ग्रामीण जनता विशेष रूप से अशिक्षित कृषक इसे राज्य शासन का एक विभाग मानते हैं। सहकारिता का प्रचार-प्रसार करने वाली एजेन्सी प्रत्येक जिले स्तर पर है परन्तु इसके द्वारा उचित प्रचार-प्रसार न करने के कारण लैम्पस द्वारा प्राप्त सुविधाओं और विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी का अभाव रहता है। इस ओर 'जिला सहकारी संघ,' रायगढ़ द्वारा सहकारिता का प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिये।

संस्थाओं में ऋण प्राप्तकर्ता सदस्यों के प्रतिशत में कमी के कारणों पर प्रकाश डालते हुए 45 प्रतिशत प्रबंधकों ने निम्न कारणों को प्रमुख बताया है :-

(1) **लैम्पुस की सदस्यता** में वृद्धि के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्य बना लिये जाते हैं, जबकि ऋण केवल एक ही सदस्य को वितरित किया जाता है।

(2) सदस्यों से अवधिपार ऋण वसूल नहीं होने पर उन्हें नया ऋण नहीं दिया जाता है।

(3) जनजातीय एवं अन्य सदस्य रोजगार की तलाश में कार्यक्षेत्र से बाहर चले जाने के कारण भी ऋणी सदस्यों की संख्या में कमी हो रही है।

लैम्पुस संस्थाओं की दयनीय वित्तीय स्थिति :-

जिले में लैम्पुस संस्थाओं की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं है। इन संस्थाओं में स्वयं के कोष कम हैं। कार्यशील पूंजी भी पर्याप्त नहीं है। अंश-पूँजी में राज्य शासन का अंशदान अधिक है। जिले के प्रायः सभी लैम्पुस संस्थाओं की पूँजी तथा सदस्य-पूँजी भी कम है जिससे इनमें वित्तीय दयनीयता व्याप्त है। ये संस्थाऐं पूर्णतः शासकीय सहायता पर आश्रित हैं।

जिले में लैम्पुस समितियों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु लैम्पुस प्रबंधकों ने निम्न बिन्दुओं को सुझाया है :-

(अ) **शासकीय अंश पूंजी :-**

लैम्पुस को सक्षम बनाने के उद्देश्य से शासन द्वारा अंश पूंजी में भागीदारी की गयी है। परन्तु वर्तमान में जिले के 50 प्रतिशत से अधिक लैम्पस संस्थाओं में लगातार हानि होने, स्कंध की कमी, गबन एवं धोखा-धड़ी के कारण इनके व्यवसाय हेतु स्वयं की पूँजी लगभग समाप्त हो गयी है, जिससे इनकी अंश-पूँजी व्यवसाय के अनुपात में कम पायी गयी ।

अतः शासन द्वारा सदस्यों की अंश-पूँजी से दो गुनी अंश-पूँजी का प्रावधान किया जाना आवश्यक है।

(ब) लैम्पुस के कार्यक्षेत्र में अधिकांश अनुसूचित जनजाति के कृषक हैं। इनके पास संस्था की सदस्यता ग्रहण करने हेतु अंश-पूँजी का अभाव रहता है। इसलिए शासन द्वारा सभी वर्ग के कृषकों को अंश क्रय के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है जिससे ये संस्था की सुविधाओं का अधिकतम लाभ ले सकें।

(स) लैम्पुस में हिस्सा राशि पर लाभांश नहीं दिया जाता है क्योंकि अधिकांश संस्थाएँ हानि में चल रही हैं।
अतः संस्थाओं के लाभ में चलने तथा उनमें नियमित रूप से शुद्ध लाभ का निवर्तन होने से सदस्य अधिक हिस्सा पूँजी विनियोजित करने हेतु प्रेरित किये जाने चाहिये।

(स) सदस्यो से अनिवार्य हिस्सा पूंजी अंशदान की व्यवस्था से भी संस्थाओं एव सदस्यों का हिस्सा पूँजी का आधार सुदृढ़ होता है।

सहकारी साख पर गठित समिति (1960)[1] ने अंश-पूंजी में वृद्धि के लिये कतिपय सुझाव दिये थे जो वर्तमान सहकारिताओं के लिये उतने ही प्रासंगिक कहे हैं उक्त समिति के सुझाव निम्न प्रकार के हैं :-

(1) जहाँ परिस्थिति अनुकूल हो, वहाँ बड़े एवं वाणिज्यिक फसल उत्पादक सदस्यों से उन्हें दिये जाने वाले ऋण के अनुपात से अधिक हिस्सा राशि प्राप्त की जानी चाहिये।

(2) फसल तैयार होते समय हिस्सा पूँजी छोटे-छोटे अंशो में प्राप्त की जानी चाहिये।

(3) सदस्यों से सही समय (फसल तैयार होने के समय) पर सही ढंग से संपर्क किया जाये तो वे सहर्ष अपनी राशि हिस्सा पूँजी के रूप में नियोजित कर सकते हैं।

(द) संस्था में हिस्सा पूंजी की निम्नतम राशि निर्धारित की जानी चाहिये जिसे निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जा सके। क्रेफिकार्ड[2] ने यह सीमा 1.00 लाख रूपया सुझाई थी, इसमें अब वृद्धि की जा सकती है।

(इ) मेहता कमेटी (1960) ने यह सिफारिश की थी कि सदस्यों को समिति में पर्याप्त मात्रा

में अंशों को खरीदने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। इसने आगे इसी बात की सिफारिश की थी कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सदस्यों के उधार का उनकी अंश धारिता के 8 या 10 गुना तक सीमित करना चाहिये। समाज के कमजोर वर्गों को जिनकी उधार आवश्यकता 200 रूपये से अधिक नहीं है, उनको अपने अंशों के मूल्य आसान किश्तों में चुकाने की सुविधा दी जानी चाहिये। कमेटी ने शासन द्वारा अंश-पूंजी की सहायता देने की सिफारिश करते हुए कहा था कि सरकार द्वारा अंश-पूँजी की सुविधा सहकारिताओं को प्राप्त होनी चाहिये।[3] शोधकर्ता इन अनुशंसाओं के पक्ष में है तथा इस हेतु उपयुक्त कदम उठाना समीचिन होगा।

(च) अंश-पूँजी के अतिरिक्त नाबार्ड को कम से कम ब्याज दर पर केन्द्रीय बैंकों से व्यापार हेतु साख उपलब्ध कराना चाहिये। शासन इन संस्थाओं को ग्रामीण विकास केन्द्र के रूप में इसे स्वीकार करे तथा सभी कार्यक्रमों का यह केन्द्र बिन्दु हो। 'राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम' पूँजी ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिये अंश पूँजी प्रदान करे।[4] इस व्यवस्था से लैम्पस की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ किया जा सकेगा।

निक्षेप :-

जिले की विभिन्न लैम्पस समितियों में निक्षेपों के औसत में बहुत अन्तर है। 55 प्रतिशत लैम्पस प्रबंधकों ने इसका प्रमुख कारण लैम्पस के कार्यक्षेत्र के विस्तार को बताया है। जबकि 45 प्रतिशत प्रबंधकों ने संस्थाओं में नियमित रूप से ऋण वितरण एवं वसूली का न होना बताया।

निक्षेपों में वृद्धि के लिये संस्था के व्यवस्थापकों तथा पदाधिकारियों द्वारा जो सुझाव प्राप्त हुए हैं उनमें से मुख्य नीचे व्यक्त हैं :-

(1) संस्थाओं में कार्य क्षेत्र के आधार पर पर्याप्त एवं प्रशिक्षित स्टॉफ की व्यवस्था की जानी चाहिये।

(2) मिनी बैंक योजना को सभी संस्थाओं में लागू करना चाहिये तथा इसके लिये भवन, आकर्षक काउंटर आदि की व्यवस्था की जानी चाहिये।

(3) जब तक सदस्यों के मन में स्वयं प्रेरणा उत्पन्न नहीं होगी तब तक किसी भी योजना को ऊपरी आदेशों एवं लक्ष्य निर्धारण से सफल नहीं बनाया जा सकता इसके लिये आवश्यक है सदस्यों के मन में सहकार की भावना को विकसित करना चाहिये। यह भावना, शिक्षा तथा प्रशिक्षण, सहकारिता का प्रचार तथा प्रसार कर विकसित किया जाना चाहिये।

(4) सदस्यों को प्रभावित करने के लिये संस्थाओं के ऊपर प्रभावी नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण की व्यवस्था होनी चाहिये जिससे संस्था में किसी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका न हो, तभी सदस्यों के मन में संस्था के प्रति विश्वास होगा।

सहकारी साख पर गठित समिति ने भी निक्षेपों में अभिवृद्धि के लिये उनके उद्देश्यों के विविधीकरण पर जोर दिया था। यदि संस्थाऐं आर्थिक दृष्टि से सबल हों और उद्देश्यों का विविधीकरण हो तो सदस्य स्वाभाविक रूप से अपने निक्षेप संस्थाओं में विनियोजित करने को तत्पर होगा।[5]

क्रेफिकार्ड (1981)[6] ने भी यह सुझाव दिया था कि प्राथमिक संस्थायें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं अतः वे निक्षेप आकर्षित करने हेतु निक्षेपों पर अधिक ब्याज दे सकती हैं। समिति के अनुसार केन्द्रीय सहकारी बैंक से प्राप्त किये जाने वाले ऋण पर 8.50 प्रतिशत की दर से दिये जाने वाले ब्याज के मुकाबले सदस्यों से 7-8 प्रतिशत दर तक निक्षेप प्राप्त करने को सस्ता बताया। शोधकर्ता की दृष्टि में निक्षेप आकर्षित करने से इन संस्थाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया जा सकेगा।

प्रबंध :-

जिले में लैम्प्स संस्थाओं में पूर्ण प्रजातांत्रिक प्रबंध का अभाव रहा है क्योंकि अधिकांश प्रबंध समिति के सदस्य संस्था के कार्यकलाप, कार्य पद्धति तथा नियमों से सुपरिचित नहीं पाये गये। संस्थाओं के प्रबंध में सदस्यों की भागीदारी अत्यंत सीमित है। बहुत कम सदस्यों को अपने अधिकार एवं कर्तव्यों का ज्ञान है। इसका प्रमुख कारण शिक्षा का अभाव देखा गया। सदस्यों से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में पूछे गये प्रश्नों के विश्लेषण तथा साक्षात्कार के क्रम में यह देखा गया कि 60 प्रतिशत सदस्यों में संस्था के विशेष लगाव का अभाव है। इनमें से 5.2 प्रतिशत सदस्यों ने सहकारी शिक्षा के प्रसार-प्रचार को संस्था के प्रति लगाव उत्पन्न करने के लिये आवश्यक माना। 48 प्रतिशत सदस्यों ने इस संस्थाओं की वर्तमान व्यवस्था को ठीक माना जबकि 52 प्रतिशत सदस्यो ने प्रबध व्यवस्था

प्रभावशाली बनाने के लिये प्रबंध समिति को प्रशिक्षित किया जाने का सुझाव प्रगट किया। इनके अनुसार व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम सहकारिताओं की सफलता के लिये आवश्यक हैं।

लैम्पुस संस्थाओं में प्रजातांत्रिक स्वरूप को स्थापित करने के लिये लैम्पुस प्रबंधकों, प्रबंध समिति के सदस्यों तथा अन्य अधिकारियों ने निम्न प्रयासों को आवश्यक बताया -

(1) सहकारी शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि समिति के सदस्य सहकारिता के सिद्धांत तथा व्यवहार का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकें। इससे चुनाव में भाग लेने, आम सभा व संचालक मण्डल की बैठकों में भाग लेने के महत्व को वे समझ सकेगें।

(2) सामान्य सभा एवं संचालक मण्डल की बैठक उपनियमों के अनुसार होनी ही चाहिये तथा उसमें पारित प्रस्तावों को ही लागू किया जाना चाहिये।

(3) समितियों के चुनाव समयावधि में होने चाहिये। प्रशासकों की नियुक्ति या उप-नियमों में वर्णित समयावधि से अधिक अवधि तक चुनाव स्थगित करने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिये।

(4) समितियों पर राजनैतिक या बाहरी प्रभाव नहीं होना चाहिये।

शोधकर्ता उक्त सुझावों से सहमत है तथा इन्हें यथाशीघ्र क्रियान्वित किया जाना चाहिये।

कार्मिक प्रबंध समस्या :-

वर्तमान में जिले की लैम्पुस संस्थाओं में प्रबंध संचालक तथा लेखापाल के पद पर कर्मचारी कार्यरत हैं। विकास खण्ड स्तरीय लैम्पुस में प्रबंधक, लेखापाल और विक्रेता की नियुक्ति की जाती है। कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु शासन जागरूक है तथा इसके लिये समय-समय पर प्रयास भी किये जाते हैं।

लैम्पुस का कार्यक्षेत्र विस्तृत है और उसकी तुलना में कर्मियों की संख्या अनुकूल है। अतः संस्थाओं के कारोबार को सुदृढ़ आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त संख्या में योग्य कर्मिकों को नियोजित किया जाना चाहिये। अधिकांश प्रबंधकों का सुझाव है कि प्रत्येक लेम्पुस में एक पूर्णकालिक लेखापाल की पदस्थापना भी होना आवश्यक है जिससे कि लैम्पुस के विविध लेखों को व्यवस्थित ढंग से रखा जा सके।

संस्था द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में अभी तक कोई सेवा शर्तें तैयार नहीं की गयी हैं इस संबंध में 90 प्रतिशत प्रबंधकों का यह मत है कि इसके लिये पृथक से सेवा शर्तें निर्मित की जायें तथा इन्हें नियमित रूप से पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराये जायें।

लैम्पुस - व्यवस्थापकों के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था है परन्तु इस क्षेत्र में और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये।

अध्ययन में यह देखा गया है कि लैम्पुस में कार्यरत कुछ कर्मचारी ग्रामीण दर्शन से परिचित नहीं हैं तथा वे ग्रामीण वातावरण में काम के इच्छुक भी प्रतीत नहीं हुए। उनमें काम के प्रति प्रेरणा का अभाव भी है। कार्य विभाजन तथा उचित संगठन के अभाव ने भी इन्हें हतोत्साहित किया है। अगर क्षेत्रीय लोगों को इसमें रखा जाता है तो यह समस्या अपने आप हल की जा सकती है। लैम्पुस के कर्मचारियों के कार्य संपादन के स्तर में सुधार लाने के लिये उन्हें आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराई जानी आवश्यक है, जिसमें निवास स्थल के साथ-साथ समिति के कार्यालय में आवश्यक उपादान यथा तिजोरी, आलमारी, काउंटर, टेबल, कुर्सियाँ, स्टेशनरी आदि भी सामयिक रूप से निरन्तर उपलब्ध कराने की व्यवस्था होनी चाहिये।

लैम्पुस के लिये कोई अलग से स्टाफिंग पेटर्न नहीं बनाया गया, जिससे एक लैम्पुस प्रबंधक का कार्यक्षेत्र अत्यधिक हो जाने के कारण ये अपने उत्तरदायित्व का कुशल पूर्वक संचालन नहीं कर सके। इन्हें 80 से 90 ग्रामों के सदस्यों को ऋण वितरण, वसूली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत संचालित दुकानों का पर्यवेक्षण, शासकीय योजनाओं में सेवा कार्य आदि कार्यों का संचालन करना पड़ता है।

लैम्पुस प्रबंधकों के अनुसार लैम्पुस पुनर्गठन के पूर्व सुनियोजित योजना नहीं बनायी गयी, जैसे :-

(क) मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, मर्यादित द्वारा वर्ष 1976-77 में लैम्पुस प्रबंधकों की नियुक्ति की गयी थी लगभग एक-दो वर्ष पश्चात् इन्हें प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों के केडर में लेकर बैंक में कार्यरत पर्यवेक्षकों के अधीनस्थ कर दिया गया जिससे इनके कार्यकाल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की समस्या :-

शासन ने कदापि समय-समय पर इन संस्थाओं हेतु अनेक योजनायें क्रियान्वित की हैं लेकिन इसका पूरा-पूरा लाभ संस्थाऍ नहीं ले पा रही हैं। लैम्पुस कर्मचारी, प्रबंध समिति तथा सदस्यों को इसकी पूर्ण जानकारी नहीं दी गई है यथा उपभोग ऋण, जिसका विश्लेषण इस प्रकार है :-

(क) अधिकांश समिति के समिति सेवक तथा पबंध समिति के सदस्यों को यह योजना ज्ञात नहीं है।

(ख) अधिकांश आदिवासी सदस्यों को इस योजना की जानकारी नहीं है.

(ग) जिला सहकारी बैंकों ने भी इस संबंध में विशेष रूचि नहीं दर्शायी है।

इस संबंध में सहकारी बैंकों तथा लैम्पुस संस्थाओं के सदस्यों से जानकारी तथा मार्गदर्शन मिलना चाहिये। इस संबंध में बैंकों को भी पहल करना चाहिये।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मुक्त उपभोग ऋण की सीमा आदिवासी सदस्यों के लिये बढ़ाकर रूपये 1000 की जानी आवश्यक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जब अधिकारियों को योजनाओं की पूर्ण जानकारी ही नहीं है तब क्रियान्वयन कैसे संभव है अतः शोध कर्ता के मत से इनको जानकारी देना तथा क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त कार्मिक उपलब्ध कराना उपयुक्त होगा।

जिला सहकारी बैंक तथा अन्य शासकीय विभागों का हस्तक्षेप :-

जिले की लैम्पुस संस्थाओं के 65 प्रतिशत व्यवस्थापकों ने इस संबंध में अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि लैम्पुस संस्थाओं के ऊपर जिला सहकारी बैंक तथा अन्य शासकीय विभागों का इतना अधिक हस्तक्षेप होता है कि लैम्पुस संस्थाओं को स्वतंत्र रूप से कार्य करने में कठिनाई होती है। 55 प्रतिशत प्रबंधकों ने यह बताया कि लैम्पुस बोर्ड द्वारा जो प्रस्ताव पारित किये जाते हैं उनका भी पालन नहीं हो पाता। इस तरह लैम्पुस संस्थाओं को पूर्णतः अपंग बनाकर उनके अस्तित्वों को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की वैशाखियों पर लटका दिया गया है जिससे उनमें उत्तरदायित्वों के वहन की क्षमता घटती जा रही है तथा उसका अस्तित्व उजागर नहीं हो पा रहा है। केन्द्रीय बैंक के पदस्थ सेवा कर्मचारियों पर लैम्पुस का कोई नियंत्रण नहीं है। इसके नियंत्रण संबंधी व्यवस्था पर विचार करना आवश्यक है।

सार रूप में शोधकर्ता इस बात की पुरजोर अनुशंसा करता है कि यदि वास्तव में हम आदिवासियों का समग्र विकास करना चाहते हैं तथा उन्हें राष्ट्रीय आर्थिक विकास की धारा में जोड़ना चाहते हैं तो हमें बड़ी ही ईमानदारी से प्रत्येक लैम्पुस समिति में केन्द्रीय सहकारी बैंक के संवर्ग के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर रखना होगा तथा शासकीय विभागों से प्रत्येक समिति में एक लेखापाल, न्यूनतम दो लिपिक, दो भृत्य तथा दो चौकीदारों की व्यवस्था करनी होगी। इन समितियों को शासकीय व्यवस्था में उपयुक्त फर्नीचर, भवन, स्टेशनरी आदि भी यथा संभव पूर्ति करनी होगी। इन कर्मचारियों में यदि स्थानीय कर्मचारियों को कार्य दिया जाता है तो अधिक उपयुक्त होगा। यदि ये व्यवस्थाएँ की जाती हैं तथा समिति के कार्य के अलावा अतिरिक्त कार्य सौंपे जाते हैं तो उसके लिए अतिरिक्त कर्मचारी व्यवस्था की जाती है तब ही इन समितियों के माध्यम से आदिवासियों का अपेक्षित विकास संभव हो सकेगा अन्यथा उपयुक्त व्यवस्था के अभाव में ये केवल कागजी व्यवस्था ही बनकर रह जायेगी।

अन्य प्रशासनिक समस्यायें :-

70 प्रतिशत प्रबंधकों ने संस्था के प्रशासनिक समस्याओं को स्पष्ट करते हुए यह बताया कि लैम्पुस के कर्मचारी एवं पदस्थ कर्मचारियों के अवकाश, उनके वेतन देयकों तथा उनके बारे में कोई भी जानकारी वैधानिक रूप से उस संस्था के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को नहीं होती। यह आज के प्रशासन के समक्ष एक बहुत बड़ी समस्या है। संस्था के पदस्थ कर्मचारी के वेतन स्वीकृत करने की, उसके अन्य देयकों तथा अवकाश स्वीकृत करने का भी अधिकार यदि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को न हो तो उन अध्यक्षों तथा उपाध्यक्षों से जागृति तथा नियंत्रण की कामना की जाये, यह मात्र एक स्वप्न होगा। 62 प्रतिशत प्रबंधकों ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को वेतन अन्य देयक तथा अवकाश आदि स्वीकृत करने का अधिकार देने के पक्ष में अपना विचार व्यक्त किया। लैम्पुस संस्थाओं को स्थानीय दलगत राजनीति से मुक्त करने के लिये प्रबंधकों की प्रान्तीय स्तर पर सेवायें देकर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से मुक्त करने की आवश्यकता को लगभग 52 प्रतिशत प्रबंधकों ने स्वीकार किया। शोधकर्ता के मत में यही उपयुक्त होगा कि इन कर्मचारियों की सेवा शर्तें राज्य शासन के कर्मचारियों के समान घोषित कर दी जाये।

व्यवसाय :-

वर्तमान में लैम्पुस ऋण वितरण, रासायनिक खाद, उन्नत बीज, कीटनाशक दवाईयों का वितरण तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत दुकानों का संचालन कर रही हैं। व्यवसाय से संबंधित समस्याओं के संबंध में सदस्यों से जो उत्तर प्राप्त हुए हैं, उनसे निम्न तथ्य प्रगट हुए हैं :-

(1) सदस्यों को समय पर ऋण प्राप्त नहीं होना ।

(2) सदस्यों को उनकी आवश्यकतानुसार ऋण प्राप्त नहीं होना।

(3) व्यक्तिगत स्वार्थ का प्रभुत्व ।

(4) अपर्याप्त ऋण अवधि ।

(5) ऊंची ब्याज दरें ।

किसान का ऋण तभी उपयोगी होता है जब वह उसे उचित समय पर प्राप्त करे एवं उसकी राशि भी कम से कम उतनी हो जितनी राशि की उसे आवश्यकता है।

इस संबंध में जिला सहकारी बैंक को उचित अधिकार दे देने चाहिये ताकि आवश्यक जांच के बाद ऋण के संबंध में तुरन्त मंजूरी दी जा सके।

लैम्पुस संस्थाऐं जो ऋण देती हैं उससे ऋणों की बकाया राशि बढ़ जाती है। ऋण देने के बाद उचित निरीक्षण के अभाव में ऐसा होता है। अधिकांश मामलों में ऋणों की राशि का उपयोग सदस्यों द्वारा नहीं किया गया। कृषि हेतु ऋण देने के संबंध में बैंक का प्रमुख उद्‌देश्य आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों की स्थिति में सुधार करना और साथ-ही-साथ उत्पादन में वृद्धि करना होना चाहिए।

खेती के लिये ऋण देन की व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू उचित निरीक्षण है, क्योंकि ऋण की राशि की वसूली कृषक की उपज पर निर्भर करती है। कृषि साख व्यवस्था के क्षेत्र में सफलता के लिये कृषकों से संपर्क रखने तथा उत्तम कृषि तकनीक अपनाने के विषय में मार्गदर्शन समय-समय पर देना चाहिये। इसके लिये कृषि संबंधी जानकारी रखने वाले निष्ठावान कर्मचारी सभी लैम्पुस संस्थाओं में होना चाहिये।

कृषि के लिये संस्था द्वारा जो ऋण दिया जाता है उसकी अदायगी की अवधि छोटी होती है सामान्य फसल कटने के तुरन्त बाद ऋण की राशि चुकाने को कहा जाता है इससे कृषकों को उपज सस्ते मूल्य पर बेचने को बाध्य होना पड़ता है। ऋण अदायगी की अवधि में पश्चिमी देशों की भांति कृषकों को रियायत देनी चाहिये।

अध्ययन के दौरान कृषकों ने यह बताया कि ऋणों पर ब्याज की दर बहुत बढ़ गयी है। साधारण साहूकार तथा सहकारी संस्थाओं की ब्याज दर में अधिक अन्तर नहीं रह गया है। सदस्यों के अनुसार कृषि साख पर सहकारी संस्थाओं को ब्याज की दरों में थोड़ी रियायत करनी चाहिये।

सामान्यतः यह देखा गया कि ऋण जिस उद्देश्य के लिए दिये जाते हैं उन उद्देश्यों के लिये उपयोग में लाये नहीं जाते। अतः कर्ज जिस उद्देश्य के लिये दिये जाँए उसका समय-समय पर निरीक्षण कर इसकी पुष्टि करनी चाहिये।

जिले की कई लैम्पुस संस्थाओं में ऋण प्राप्तकर्ता सदस्यों की संख्या शोचनीय है। इस कारण प्रति सदस्य ऋण के औसत से प्रति ऋण प्राप्तकर्ता सदस्य ऋण के औसत की राशि अत्यधिक है। अतः अधिक से अधिक सदस्यों को अल्पकालीन ऋण वितरण का प्रयास करना चाहिये।

जिले में कार्यरत लैम्पुस संस्थाओं से आदिवासियों एवं क्षेत्र के अन्य वर्ग के लोगों की अल्पकालीन ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति की जितनी अपेक्षा थी उस लक्ष्य को प्राप्त करने में अधिकांश संस्थायें सफल नहीं रही हैं, जिसमें सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

आदिवासियों के लिये मध्यावधि साख सीमा का प्रावधान विशेष महत्वपूर्ण है इसलिए उनकी साख सीमा निर्धारित करते समय उनकी आय (कृषि तथा अन्य माध्यम से) को ध्यान में रखा जाना चाहिये।

लैम्पुस संस्थाओं द्वारा ऋण वितरण एवं वसूली में अति सावधानी व सतर्कता की आवश्यकता है ताकि कालातीतों की बढ़ती हुई समस्या को नियंत्रित किया जा सके।

जिले की लैम्पुस संस्थाओं में कालातीत ऋणों के कारण एवं सुझाव :-

जिले की भौगोलिक परिस्थितियाँ प्रतिकूल एवं विषम रही हैं। जिले में कार्यरत 7 विकास खण्ड स्तरीय लैम्पुस का कार्य क्षेत्र समस्त विकास खण्ड में रहने के कारण दूर-दूर फैले क्षेत्रों में वसूली में कठिनाई होती है।

संस्थाओं में दोहरी शासन व्यवस्था से भी लैम्पस के समस्त क्रिया-कलाप प्रभावित होते हैं। ऋण वसूली भी इसका अपवाद नहीं है। अतः केन्द्रीय सहकारी बैंक के कार्यों का स्पष्ट निर्धारण करने से कालातीत ऋणों की वसूली में सहायता मिल सकती है। दाँते समिति ने केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा संस्थाओं के संचालक मंडल के सदस्यों में वसूली के प्रति सामान्यतया रूचि नहीं लेना तथा ऋण न चुकाने की कृषक सदस्यों की इच्छा का होना प्रमुख कारण दर्शाया है।

सदस्यों का समय पर ऋण का न मिलना, आवश्यकता से अधिक ऋण प्रदान करना भी कालातीत ऋणों की वृद्धि का कारण है क्योंकि ऋणों का इच्छित उद्देश्य में प्रयोग करने के स्थान पर अन्य कार्यों में करने से ऋण शोधन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

लैम्पुस संस्थाओं में ऋणों की अच्छी वसूली के संबंध में निम्नांकित सुझाव प्रस्तुत हैं, ताकि कालातीतों को एक सीमा तक नियन्त्रित किया जा सके -

(1) नियमित रूप से 3 वर्ष तक ऋण जमा करने वाले को पुरस्कार दिया जाना चाहिये।

(2) श्रृंखलन के माध्यम से ऋणों की वसूली होनी चाहिये।

(3) लैम्पस की ऋण वसूली हेतु जिलाध्यक्ष द्वारा शिविरों का आयोजन किया जाना चाहिये जिससे सदस्यों को प्रेरित किया जा सके।

(4) जिन समितियों की वसूली सदस्य स्तर पर शत-प्रतिशत होती है उनके संचालक मंडल एवं कर्मचारियों को पुरस्कृत करने की योजना शीर्षस्थ बैंक एवं जिला सहकारी बैंक द्वारा बनाई जानी चाहिये। इससे संचालक मंडल की सहभागिता संस्थाओं के प्रति बढ़ेगी तथा संस्था के कार्य संचालन में सुविधा होगी।

उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण :-

सूचनाओं से स्पष्ट होता है कि जिले की शत-प्रतिशत लैम्पुस संस्थाओं द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण कार्य किया जा रहा है। इस कार्य में प्रायः सभी लैम्पुस संस्थाओं को हानि है। इसका प्रमुख कारण जिले में वस्तुओं के प्रदाय की अनुपयुक्त व्यवस्था का होना, अनियंत्रित वस्तुओं की ओर संस्थाओं की रूचि का अभाव, ठोस कार्ययोजना का अभाव, लिंक तथा लीड समितियों के बीच व्यावसायिक दृष्टि से सुदृढ़ संबंध का अभाव भी है। यह कार्य उपभोक्ता वस्तुओं की अपर्याप्त आपूर्ति,

उपभोक्ता सामग्री पर प्राप्त होने वाले कमीशन की अपर्याप्तता तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कर्मचारियों पर होने वाला व्यय तथा ब्याज की दर आदि ऐसे कारण हैं जिससे जिले की बहुउद्देशीय आ.जा. समितियां निरंतर हानि में चल रही हैजिससे ये संस्थाएं निरन्तर हानि दर्शा रही हैं। इन कारणों के अतिरिक्त लैम्पुस प्रबंधकों ने अन्य समस्याओं का भी उल्लेख किया है जिनके कारण संस्थाओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, वे समस्यायें निम्न हैं -

लगभग सभी लैम्पुस प्रबंधकों ने यह विचार व्यक्त किया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनेक अन्य शासकीय विभागों का इतना अधिक हस्तक्षेप है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लैम्पुस द्वारा क्रियान्यवयन एक समस्या बन गयी है जैसे - एफ.सी.आई द्वारा समय पर माल न दिया जाना एवं अन्य शासकीय विभागों द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप। वितरण व्यवस्था के निरीक्षण का कार्य जहाँ सहकारिता विभाग एवं खाद्य विभाग को दिया गया है वहीं पर अन्य सारे विभाग जैसे राजस्व, पंचायत, पुलिस एवं शासन द्वारा नियुक्त निगरानी समितियाँ भी निरीक्षण करती हैं। किसी तरह के राशि के गबन होने पर सारा दोष लैम्पुस प्रबंधक पर होता है क्योंकि सहायक विक्रेता की नियुक्ति समिति द्वारा की जाती है। जिसमें लैम्पुस प्रबंधक भी शामिल होता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन में अनेकों विभाग सम्मिलित है, गलती चाहे किसी अन्य विभाग की क्यों न हो लेकिन सारा दोष लैम्पुस कर्मचारियों पर आरोपित कर प्रताड़ित किया जाता है एवं मानसिक तथा आर्थिक क्षति पहुंचायी जाती है जिससे संस्था के कर्मचारियों का मनोबल टूट जाता है।

नाप तौल विभाग के अधिकारियों द्वारा समिति की दुकानों के मापों एवं बांटों पर सत्यापन न कराने का बहाना बनाकर माप एवं बाट जप्त किये जाते हैं एवं अवैध राशि की मांग की जाती है। मांग पूरी न करने पर न्यायालय में मुकदमा दायर कर विक्रेताओं के साथ-साथ संस्था को भी अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है।

जिले में सहायक विक्रेता की नियुक्ति राजनैतिक दबाव से ही होती है, जिसके परिणाम स्वरूप बैंक एवं समिति कर्मचारियों को सहायक विक्रेता द्वारा किये गये अनियमित कार्यो के लिये

दोषी ठहराया जाता है। विक्रेता की भर्ती कराने तक तो प्रबंधक पर आखरी स्तर तक दबाव डालकर विक्रेता की भर्ती करा ली जाती है, लेकिन जब विक्रेता संस्था की राशि का गबन कर जाता है तो कोई जिम्मेदार व्यक्ति संस्था प्रबंधक का सहयोग नहीं करता और राशि संस्था प्रबंधक से वसूल करने की कार्यवाही बैंक द्वारा की जाती है।

उपभोक्ता दुकानों में पदस्थ सहायक विक्रेता पूर्णतः अंशकालीक है जिसके कारण वे अपने को प्रत्येक उत्तरदायित्व से मुक्त मानते हैं और बैंक द्वारा सारा दोष संस्था प्रबंधक पर आरोपित कर दिया जाता है।

सहायक पंजीयक के न्यायालय में दायर मामलों की डिक्री संस्था के पक्ष में होने के बाद पुनः बैंक के वसूली अधिकारी के यहाँ प्रकरण फाईल करना होता है और विक्रेता से वसूली हेतु कार्यवाही करनी होती है लेकिन किसी प्रकार की वसूली विक्रेता से नहीं हो पाती जिसके तहत गबन पर रोक लगे। इससे समिति के कर्मचारियों का मनोबल घटता जा रहा है।

उपरोक्त समस्याओं के कारण जहाँ समितियों की आर्थिक स्थिति दिनों-दिन बिगड़ती जा रही है तथा वितरण व्यवस्था के कारण आये दिन जहाँ शिकायतें बढ़ रही हैं वहीं लैम्पुस के क्रिया-कलापों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। जिसके कारण बैंक में अमानत वृद्धि व ऋण वितरण जैसे कार्य पूरी तरह प्रभावित हो रहे हैं।

जिले में लैम्पुस संस्थाओ द्वारा कार्यरत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रति उपभोक्ताओं का जो दृष्टिकोण एवं समस्याएँ हैं उनकी जानकारी उनसे साक्षात्कार के क्रम में ली गयी जो इस प्रकार है:--

(1) **दुकानों का समय पर न खुलना** :-

उपभोक्ताओं द्वारा पूछने पर बताया गया कि अधिकांश संस्थाओं में समय पर उपभोक्ता भंडार खुलने की समस्या है जिसके कारण उपभोक्ताओं को हमेशा निराश होकर लौटना पड़ता है। इन दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों का व्यवहार उपभोक्ताओं के प्रति उचित नहीं रहता है। इसलिये भंडार के प्रति उनका रूझान कम है।

(2) **अनियंत्रित वस्तुओं का व्यापार नहीं :–**

उपभोक्ताओं के द्वारा बताया गया कि दुकानों द्वारा अनियंत्रित वस्तुओं का व्यापार नहीं होने से काफी कठिनाई होती है जो दैनिक उपयोग के लिये आवश्यक हैं। इस प्रकार उपभोक्ताओं का रूझान इन सस्थाओं के प्रति कम है।

(3) **मांग के अनुरूप पूर्ति नहीं :–**

उपभोक्ताओं द्वारा बताया गया कि इन भण्डारों पर व्यावसायिक मांग की कमी है। जब जिस वस्तु की जिस समय जरूरत होती है तब वह इन भण्डारों पर न मिलने के कारण उन्हें अन्य भण्डारों पर आश्रित होना पड़ता है। ये भंडार सीमित व्यापार करते हैं जिसके कारण जितनी मांग होती है उतनी वस्तुएँ उपलब्ध नहीं होती ।

(4) **मूल्य में कोई विशेष अन्तर नहीं :–**

उपभोक्ताओं ने बताया कि दोनों तरह की दुकानों के मूल्य में कोई विशेष अन्तर नहीं है। इस कारण उपभोक्ताओं को एक तो समस्त वस्तुएँ एक जगह न मिलने तथा मूल्य में विशेष अन्तर न होने के कारण भण्डारों के प्रति उनका रूझान कम है।

उपर्युक्त समस्याओं पर विशेष ध्यान देते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को व्यावसायिक रूप से ठोस आधार प्रदान करने की आवश्यकता है। जिससे लैम्प्स संस्थाओं के प्रति सदस्यों का झुकाव बढ़ सके तथा उनमें सदस्य होने की भावना का संचार किया जा सके। लैम्प्स प्रबधकों तथा कर्मचारियों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिये निम्न सुभाव प्रस्तुत किये गये :–

(1) जिन लेंम्प्स का कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत है उनमें शाखाएँ खोलकर उपभोक्ता वस्तुए वितरित की जानी चाहिये।

(2) संस्थाओं व्दारा संचालित सार्वजनिक प्रणाली की दुकान पर उससे सम्बद्ध राशन कार्ड के अनुसार पर्याप्त कोटा आबंटित किया जाना चाहिये ताकि संस्था की छवि खराब न हो और अन्यथा विवाद भी न हो।

(3) सहायक विक्रेताओं की नियुक्ति स्वतंत्र रूप से लैम्प्स के बोर्ड व्दारा की जानी चाहिये।

(4) उपभोक्ता सामग्री पर प्राप्त होने वाले कमीशन तथा परिवहन व्यय में वृद्धि की जानी चाहिये ताकि संस्थाओं को हानि न हो, क्योंकि वर्तमान में शासन द्वारा लीड संस्थाओं को 09 रूपया परिवहन व्यय दिया जा रहा है। इसी में संस्था को स्थापना व्यय, गोदाम किराया एवं अन्य व्यय पूरे करने होते हैं। जबकि लीड संस्थाओं को औसतन 15 रूपये सिर्फ परिवहन व्यय का भुगतान करना पड़ रहा है।

(5) जिले में अनेकों समितियों एक लम्बे समय से लीड संस्था का कार्य कर रही हैं लेकिन जिले के सहकारिता विभाग द्वारा संचालित एन.सी.डी.सी सहायता योजनान्तर्गत इनका पंजीयन नहीं होने के कारण इन्हें मार्जिन मनी, वाहन ऋण आदि सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है। अतः उक्त योजनान्तर्गत इनका पंजीयन किया जाना आवश्यक है।

(6) खाली बारदाना जो वर्तमान में कम कीमत पर लिंक समिति द्वारा लीड समिति को दिया जा रहा है यह अव्यवहारिक है, लिंक समिति को अपने स्तर पर बेचेन की स्वतंत्रता होनी चाहिये।

(7) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के निरीक्षण का अधिकार संस्था, सहकारिता विभाग तथा खाद्य विभाग के अधिकारियों को ही होना चाहिये।

(8) सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गड़बड़ी पाये जाने पर बिना आडिट रिपोर्ट की प्रतीक्षा किये बैंक/सहकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई प्राथमिक जांच के आधार पर एफ.आई.आर. दर्ज होकर कार्यवाही के लिये शासन स्तर से नीति निर्देश जारी होना चाहिये।

(9) संस्थाओं को खाद्य सामग्री प्रदाय करने हेतु विकास खण्ड स्तर पर नागरिक आपूर्ति निगम की ओर से परिवहन की व्यवस्था होनी चाहिये।

(10) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के घाटे की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जानी चाहिये।

(11) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान का पूर्ण लेखा एक शाखा के रूप में पृथक रखा जाना चाहिये, जिससे आर्थिक प्रभाव का आकलन हो सके।

कृषि आदानों का वितरण :-

जिले में प्रायः सभी लैम्पस संस्थाओं व्दारा कृषि आदानों का वितरण कार्य किया जा रहा है परन्तु इनकी गतिविधियाँ बहुत सीमित हैं। जिले में विभिन्न वर्षो में कृषि आदान आपूर्ति की

मात्रा विभिन्न वर्षों में एक जैसी नहीं रही है। कृषि आदान में मुख्य रूप से उर्वरक, उन्नत बीज, कीटनाशक दवाओं का व्यवसाय सभी लैम्पुस संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। कृषि यंत्र तथा उपकरण व्यवसाय कुछ हाट स्तरीय समितियों व्दारा तथा कुछ विकास खण्ड स्तरीय समितियों व्दारा किया गया। वर्तमान में कृषि उपकरण वितरण मूल्य में 50 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 0.66 लाख रूपये से घटकर 0.35 लाख रूपये पर आ गया । कृषि यत्र पर नगण्य राशि का खच होना कृषि मे पुराने तकनीक प्रयोग का द्योतक है ।

इसी प्रकार जिले के विभिन्न लैम्पुस संस्थाओं में भी कृषि आदानों की विक्रय राशि में एक रूपता नहीं है। जिन संस्थाओं में कृषि आदानों का वितरण संतोष-जनक नहीं है उनकी कार्यप्रणाली भी संतोष-जनक नहीं है। अतः लैम्पुस संस्थाओं को सक्रिय बनाये जाने की आवश्यकता है।

अभी तक जिले में ऐसे क्षेत्र लैम्पुस कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत हैं जहाँ उर्वरक तथा उन्नत बीज का प्रयोग नहीं होता है। अतः ऐसे क्षेत्रों में उन्नत कृषि तकनीक की जानकारी प्रदान करने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

संस्थाओं में रासायनिक खाद समय पर उपलब्ध हो जाते हैं इस संबध में सामान्यतया सदस्यों ने संस्था की कार्यप्रणाली के प्रति संतोष प्रगट किया है।

सदस्य यह मानते हैं कि लैम्पुस संस्थाओं व्दारा वितरित खाद्य तथा कीटनाशक दवाईयों आदि का मूल्य बाजार भाव से कम तथा उचित होता है। फिर भी कृषि आदानों की गुणवत्ता के विषय में प्रचार-प्रसार आवश्यक है। अधिकांश सदस्यों ने बताया कि कृषि आदान प्राप्त करने के लिए गांव से संस्था के मुख्यालय तक काफी दूर जाना पड़ता है, इस कारण जो गांव दूर है उनमे लैम्पुस के माध्यम से कृषि आदान पहुचाने की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

कई सदस्यों ने लैम्पुस कार्यालय तथा गोदाम समय पर न खुलने की शिकायत की अतः सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है कि कार्यालय तथा गोदाम निर्धारित समय पर खुले।

जिले में सिंचाई के साधनों की कमी के कारण ये कृषक उर्वरक तथा उन्नत बीज का कम प्रयोग करते हैं।

कृषक सामान्यतया उन्नत बीजों के स्थान पर स्थानीय बीजों का अत्यधिक प्रयोग करते हैं। अतः इन्हें प्रचार प्रसार के साधनों व्दारा उन्नत बीज क्रय करने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए ।

कृषि आदान वितरण व्यवसाय में संस्थाओं को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनमें प्रबंधकों व्दारा प्रश्नावली से प्राप्त उत्तर के अनुसार निम्न तथ्य सामने आये हैं:-

(1) रासायनिक खाद, बीज एवं कीटनाशक दवाओं के वितरण में परिवहन, रिबेट एवं कमीशन की दरें अत्यंत कम हैं।

(2) समय पर रासायनिक खाद प्राप्त नहीं होने के परिणाम स्वरूप व्यवसायिक आवर्त कम होता है।

(3) समितियों के पास भंडारण क्षमता कम है।

उक्त समस्याओं के निराकरण हेतु लैम्पुस प्रबंधकों व्दारा निम्न सुझाव दिये गये -

(1) कृषि आदान वितरण लाभप्रद व्यवसाय न होकर सेवा कार्य है अतएव इसके लिये रियायती ब्याज दर पर कोष उपलब्ध होना चाहिये।

(2) रासायनिक खाद का जो स्कंध सीजन के बाद पड़ा रह जाता है, उस पर संस्था को ब्याज देना पड़ता है, उसकी अगले मौसम तक के ब्याज की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान कृषि विभाग व्दारा दिया जाना चाहिए।

(3) उन्नत बीज के समान कीटनाशक दवायें भी प्रेषण पर संस्थाओं को उपलब्ध कराई जानी चाहिये।

(4) कृषि आदान रखने के लिये पर्याप्त भंडारण सुविधा प्रत्येक संस्थाओं में होना चाहिये।

लघु वनउपज व्यवसाय :-

लैम्पुस संस्थाओं के गठन के समय से ही लघु वनउपज क्रय विक्रय द्वारा आदिवासियों को उचित मूल्य प्रदान करना तथा उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है परन्तु वर्तमान समय में लैम्पुस समितियों व्दारा सिर्फ तेन्दू पत्ता बोनस का कार्यक्रम संचालित होता है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में वन उपज विपणन पर अत्यधिक जोर दिया गया जिससे इसमें मध्यस्थों की प्रथा समाप्त की जा सके। इस कार्य के लिये लैम्पुस समितियों को 'मध्य प्रदेश राज्य लघु वन उपज व्यापार विकास सहकारी संघ' के साथ संबंधित कर दिया गया है। राष्ट्रीय कृत लघु वन उपज उत्पादों में तेन्दू पत्ता, साल बीज का संग्रहण 'लघु वन उपज व्यापार विकास सहकारी संघ' के अन्तर्गत किया जाता है।[7] इस संबंध में लैम्पुस प्रबंधकों व्दारा जो समस्या तथा सुझाव प्राप्त हुए हैं वे इस प्रकार हैं :-

(1) वनोपज निगम तथा लैम्पुस संस्थाओं से पूर्ण समन्वय नहीं हो पाता है। लैम्पुस संस्थाओं व्दारा यह कार्य प्रत्यक्ष रूप से हो सकता है परन्तु उन्हें ऐसा नहीं करने दिया जाता है। इससे संस्थाओं की आर्थिक सक्षमता पर विपरित प्रभाव पड़ रहा है।

(2) सभी लैम्पुस प्रबंधकों ने प्रदेश स्तर पर लैम्पुस व्दारा स्वतंत्र रूप से लघु वनोपज संग्रहण की आवश्यकता को सुझाया।

कृषि उपज की खरीदी :-

लैम्पुस के माध्यम से कृषि उपज की खरीदी के संदर्भ में निम्नानुसार मत प्राप्त हुए हैं जिसके कारण जिले में लैम्पुस संस्थाओं व्दारा कृषि उपज की खरीदी नहीं हो पा रही है -

(1) कृषि उपज खरीदी कमीशन की दरें अपर्याप्त हैं ।

(2) लैम्पुस में बाजार मूल्य से खरीदी मूल्य कम होने के कारण इनमें समुचित खरीदी नहीं हो पाती है।

(3) राज्य स्तरीय संस्थाओं व्दारा समय पर सामग्री न लेने के कारण इनमें कमी होने से इन संस्थाओं को हानि उठानी पड़ती है।

इस तरह लैम्पुस संस्थाओं के सफल संचालन हेतु यह आवश्यक है कि बैंक, सहकारिता विभाग, कृषि विभाग, वनोपज निगम, लीड समिति तथा अन्य विभाग आपस में पूर्ण समन्वय स्थापित कर कार्य करें तथा यह समन्वय ग्रामीण तथा विकास खण्ड स्तर पर भी स्थापित किया जाय।

व्यापारिक परिणाम :-

जिले में हानि में चल रही लैम्पुस संस्थाओं में आय तथा व्यय में नियोजन का अभाव देखा गया। इस दिशा में इन्हें कोई मार्गदर्शन भी प्राप्त नहीं हो रहा है। व्ययों का संस्था के व्यवसाय से

संबंध स्थापित नहीं किया गया है अतः व्ययों पर समुचित नियंत्रण नहीं हो पा रहा है।

लैम्पुस को आर्थिक रूप से सक्षमता प्राप्त करने के लिये निम्न प्रयास अपेक्षित हैं -

(1) संस्थाओं को ऋण व्यवसाय बढ़ाना चाहिये।
(2) लैम्पुस संस्थाओं की आर्थिक सक्षमता हेतु लैम्पुस संस्थाओं को स्वतन्त्र रूप से संचालित किया जाना चाहिए।

इस प्रकार उक्त संपूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि लैम्पुस एक-दो नहीं अपितु अनेकानेक समस्याओं से ग्रस्त हैं तथा इतनी ग्रस्त हैं कि अधिकांश संस्थाएं नाम मात्र के लिए कार्यरत हैं। आदिवासियों के विकास की आधार समझी जाने वाली ये संस्थाएं जब स्वयं ही निराधार हैं तब इनसे आदिवासियों के विकास की अपेक्षा कैसे ? अतः शोधकर्ता की दृष्टि में ऊपर यथा स्थान व्यक्त सुझावों पर शीघ्रातिशीघ्र अमल तो करना ही होगा। साथ ही साथ सहकारिता शिक्षा के माध्यम से इन संस्थाओं को स्वावलम्बी बनाना होगा। जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी संघों, विश्वविद्यालयों, ग्रामीण विकास अभिकरणों व्दारा इनकी समस्याओं के निराकरण हेतु गहन विचार विमर्श हेतु संगोष्ठियाँ आयोजित करना होगा, कर्मशालाएँ आयोजित करनी होंगी ताकि अधिकांश बीमार लैम्पुस समिति को स्वस्थ करने हेतु उपचार किया जा सके और आगामी वर्षों में इन्हें वित्तीय, प्रशासनिक एवं संगठनात्मक दृष्टि से सुदृढ़ किया जा सके ताकि ये आदिवासियों के विकास के पुनीत कार्य में अपना चिरस्मरणीय योगदान प्रदान कर आदिवासियों का विकास कर उन्हें देश के आर्थिक विकास की राष्ट्रीय धारा में जोड़ा जा सके।

***

सन्दर्भ - परिच्छेद - 8

1.	Government of India	1960	Report of the Committee on co-operative Credit P-127.
2.	Reserve Bank of India	1981	Report of the Committee to Review Arrangements for Institutional Credit for Agricultural and Rural development. P 129-30.
3.	Mehta, V.L.	1960	Committee on Co-operative Credit, Govt. of India, As quoted by Hajela T.N. in principles problems and practice of co-operation op cit. P 343.
4.	गर्ग, डी.पी.	1987	मध्य प्रदेश में आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों का अध्ययन, सहकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, इन्दौर.
5.	Government of India	1960	Report of the Committee on co-operative credit P-127.
6.	Government of India	1981	Report of the Committee to Review Arrangements for Institutional Credit for Agricultural and Rural Development, P-130.